न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस.प्रकरण, पाली (राज.)
(अपर सेशन न्यायाधीश, पाली, राज.)

पीठासीन अधिकारी :- **शरद तँवर,** R.J.S
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

दांडिक विविध (जमानत) प्रकरण सं. 459/2026

दिनेश कुमार पुत्र बाबुलाल, उम्र-29 वर्ष, निवासी-सियागों की ढ़ाणी, नेहडा, पुलिस थाना-जैतपुर, जिला-पाली (राज.)

.... **प्रार्थी/अभियुक्त**

-बनाम-

राजस्थान राज्य जरिये विशिष्ट लोक अभियोजक, पाली। .... **अप्रार्थी**

प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस.
सीआर नंबर **86/2026** पुलिस थाना **जैतपुर, जिला पाली**
अपराध अन्तर्गत धारा **8/28 एन.डी.पी.एस. एक्ट व 125, 281 बीएनएस**
गिरफ्तारी की दिनांक 28.05.2026

उपस्थिति :-

1. **श्री सुनिल बिश्नोई,** अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से।
2. **श्री निखिल व्यास,** विशिष्ट लोक अभियोजक राज्य की ओर से।

आदेश दिनांक 04.06.2026

1. प्रार्थी/अभियुक्त **दिनेश कुमार** की ओर से जरिये अधिवक्ता इस प्रकरण में नियमित जमानत हेतु यह **प्रथम** जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस.दिनांक 02.06.2026 को पेश किया गया। हस्तगत जमानत प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपि विशिष्ट लोक अभियोजक को दिलाई गई। संबंधित पुलिस थाने से प्रार्थी/अभियुक्त का आपराधिक रेकार्ड, अनुसंधान पत्रावली एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब किये गये। उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। अभिलेख का अवलोकन किया गया। उभय पक्षीय तर्कों पर मनन किया गया।

Govind Ram Chouhan, P.A.& E.A.
"Authenticated Document"

2. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत आवेदन के संबंध में मुख्य रूप से यह अभिवचन एवं तर्क किए गए हैं कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष हैं, उसे झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त से कोई बरामदगी नहीं हुई है। उसके विरूद्ध झूठी बरामदगी दर्शित की गयी है। जब्तीकर्ता अधिकारी द्वारा एनडीपीएस एक्ट के विधिक प्रावधानों की पालना नहीं की गयी है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 28.05.2026 से निरन्तर अभिरक्षा में है। अनुसंधान एवं विचारण में समय लगेगा। प्रार्थी/अभियुक्त के निरन्तर अभिरक्षा में रहने से उसके चरित्र पर बुरा प्रभाव पडेगा और उसके परिवार को बहुत कठिनाईयों का सामना करना पडेगा। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाये।

3. विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक ने प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त अभिवचनों एवं तर्कों का विरोध करते हुए तर्क किया कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध गंभीर अपराध का आरोप है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

4. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त **एस.बी. क्रिमी. बेल एप्लीकेशन नंबर 13513/2020 जुगल बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान** में दिये गये निर्देशानुसार अभियोजन द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त का निम्न आपराधिक रेकार्ड प्रस्तुत किया गया है :-

Sr. No.	*FIR No.*	*P.S.*	*Case No.*	*Section*	*Release on any previous occa-sion (If any)*
1.	*199/19.09.20*	सविना, उदयपुर		*419,420,467, 468, 120* बी भादंस व *3/6* परीक्षा अधिनियम	जैर ट्रायल
2	*379/19.09.20*	कोतवाली भरतपुर	*250/26.11.20*	*467,468, 120* बी भादंसं व *3/6* परीक्षा अधिनियम	जैर ट्रायल

5. उपरोक्तानुसार प्रस्तुत उभय पक्षीय तर्को एवं प्रार्थी/अभियुक्त के आपराधिक रिकॉर्ड के संदर्भ में हस्तगत प्रकरण की अनुसंधान पत्रावली का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि दिनांक 27.05.2026 को थानाधिकारी पुलिस थाना जैतपुर अरूण कुमार को राजेन्द्रसिंह उ.नि. प्रभारी जिला विशेष शाखा ने जरिये टेलीफोन सूचना दी कि "आज के रोज उसे गोपनीय सूचना प्राप्त हुई थी कि एक वाहन कार स्विफ्ट नंबर आर.जे. 22 सी.सी.2285 जिसका चालक अक्सर मेवाड़ से डोडा पोस्त खरीदकर लाता है

और पाती से चेण्डा कच्चे रास्ते से होकर निकलता है। माफिक सूचना वाहन कार नंबर आर.जे. 22 सीसी 2285 का चालक पाती से चेण्डा की तरफ जाने वाले कच्चे रास्ते से होकर सामने से आता हुआ दिखाई दिया जिसको रूकवाने के प्रयास किये गये, मगर चालक वाहन को भगाने का प्रयास करने लगा जिससे वाहन क्षतिग्रस्त होकर रूक गया। चालक को यथास्थिति में रखकर डिटेन किया गया।'' उक्त सूचना पर थानाधिकारी जैतपुर मय जाप्ता पाती-चेण्डा कच्चे रास्ते पर पहुंचा जहां पर राजेन्द्रसिंह उ.नि. मय जाप्ता जिला विशेष शाखा पाली के उपस्थित मिले। वाहन की सीट पर बैठे जवान उम्र के लड़के का नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम दिनेश कुमार पुत्र बाबुलाल होना बताया। दिनेश कुमार ने बताया कि वह डोडा पोस्त लाने के लिए चित्तौड़गढ़ की तरफ गया था और भंवरलाल निवासी भादसोडा से मण्डफिया चित्तौड़गढ़ में दो कट्टो में भरा कुल 45 किलोग्राम डोडा पोस्त रूपये 90,000/- में खरीदकर अपनी कार में लेकर आ रहा था जिसमें एक कट्टा तो उसने राखाणा गांव में जाकर दशरथसिंह निवासी राखाणा को बेच दिया। दूसरा कट्टा उसने उसके भाई सुरेश की कार में डालकर उसके साथ में भेज दिया। वाहन की तलाशी ली गई तो वाहन के अंदर कोई मादक पदार्थ या संदिग्ध वस्तु नहीं होना पाया गया। इस प्रकार दिनेश कुमार के द्वारा अवैध डोडा पोस्त की सप्लाई किया जाना व बाकी बचे हुये एक कट्टा डोडा पोस्त की सप्लाई करने के प्रयास व पूर्ण तैयारी दिनेश कुमार के द्वारा की गई थी, लेकिन चाहते हुये भी नहीं कर पाया। ... इत्यादि पर पुलिस थाना **जैतपुर, जिला पाली** में यह प्रकरण संख्या **86/2026**, धारा **8/28 एनडीपीएस एक्ट व 125, 281 बीएनएस, 2023** में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया।

6. प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा **8/28 एनडीपीएस एक्ट व 125, 281 बीएनएस, 2023** में प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है। लेकिन वक्त बहस अभियोजन पक्ष की ओर से कथन किया गया है कि अब तक किये गये अनुसंधान से प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा 45 किलोग्राम डोडा पोस्त अवैध मादक पदार्थ चित्तौड़गढ़ से खरीदकर अपनी कार से परिवहन करके घटनास्थल तक लाया जाना और उक्त डोडा पोस्त का एक हिस्सा दशरथसिंह को विक्रय कर दिया जाना और शेष हिस्सा अपने भाई सुरेश को सुपुर्द कर दिया जाना बताया है। इस प्रकार प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा धारा 15 एनडीपीएस एक्ट का अपराध कारित किया जाना प्रथमदृष्टया स्थापित हुआ है। वर्तमान

में इस क्षेत्र में मादक पदार्थो की तस्करी में भारी बढ़ोतरी हो रही है जिससे समाज पर घातक प्रभाव पड़ने की संभावना है। ऐसी घटनाओं पर यदि अंकुश नहीं लगाया गया तो निश्चित रूप से लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा खतरे में पड़ जायेगी। अतः इस स्तर पर प्रकरण के गुणावगुण पर कोई विस्तृत टिप्पणी किया जाना एवं प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

आदेश

7. परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **दिनेश कुमार** पुत्र बाबुलाल, उम्र-29 वर्ष, निवासी-सियागों की ढ़ाणी, नेहडा, पुलिस थाना-जैतपुर, जिला-पाली (राज.) की ओर से प्रस्तुत उक्त प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस. अस्वीकार किया जाकर **खारिज** किया जाता है।

(शरद तँवर)
विशिष्ट न्यायाधीश,
एन.डी.पी.एस. प्रकरण, पाली
(अपर सेशन न्यायाघीश, पाली)

8. आदेश आज दिनांक 04.06.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शरद तँवर)
विशिष्ट न्यायाधीश,
एन.डी.पी.एस. प्रकरण, पाली
(अपर सेशन न्यायाघीश, पाली)

Govind Ram Chouhan, P.A.& E.A.
"Authenticated Document"

Signature Not Verified
Digitally signed by
Date: 2026.06.04 18:48:21 IST